प्रेस विज्ञप्ति
23.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोचीन कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत शेलजी जॉर्ज और अन्य के मामले में केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित 23/01/2025 को कुल 7.94 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। इन संपत्तियों में मुख्य आरोपी टी डिवीजन के उप प्रबंधक शेल्जी जॉर्ज, सप्लाईको के टी डिवीजन के उप प्रबंधक अशोक भंडारी और मैसर्स हेलीबुरिया टी एस्टेट लिमिटेड के नाम की कई संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष जांच इकाई- I, तिरुवनंतपुरम द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत ई-नीलामी में हेरफेर से संबंधित एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिससे केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सप्लाईको), केरल सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, जिसका मुख्यालय एर्नाकुलम, भारत में है, को नुकसान हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स हैलीबुरिया टी एस्टेट्स लिमिटेड ने सप्लाईको के चाय प्रभाग के तत्कालीन उप प्रबंधक शेलजी जॉर्ज के साथ सांठगांठ की और नीलामी के दौरान उनके द्वारा बेची गई चाय की कीमतों को बढ़ाने के लिए कई डमी कंपनियों का उपयोग करके चाय बोर्ड द्वारा आयोजित ई-नीलामी में हेरफेर किया ताकि सप्लाईको (शेल्जी जॉर्ज द्वारा नियंत्रित नीलामी बोलियां) उक्त चाय के लिए अपने बाजार मूल्य से बहुत अधिक कीमत पर बोली लगा सके। इस प्रकार सप्लाईको को कुल 8.91 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ।

आगे की जांच प्रगति पर है।